न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – ओम कसेरा, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या – 01/2015 (निगरानी)

1. ओम प्रकाश पुत्र भोजराज जाति धाकड
2. सत्यनारायण पुत्र श्री मेघराज जाति धाकड़
3. आशोक पुत्र श्री मेघराज जाति धाकड़
4. राजकुमार पुत्र श्री मेघराज जाति धाकड तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सावित्री पुत्री श्री मेघराज जाति धाकड
5. मन्जू पुत्री मेघराज जाति धाकड
6. सुगना बाई बेवा मुरली जाति धकड
7. पूजा पुत्री मुरली नाबालिग जर्ये वली माता सुगनाबाई बेवा श्री मुरली, जाति धाकड निवासीगण माताजी का चौक बालाकुण्ड कोटा राज0

–निगराकार

बनाम

1. शिवनारायण उर्फ श्योजी (मृतक) जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 के कायम मुकामान
   - 1/1 धनराज पुत्र शिवनारायण
   - 1/2 राकेश पुत्र शिवनारायण
   - 1/3 महेन्द्र पुत्र शिवनारायण निवासीगण किशनपुरा तकिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा
   - 1/4 श्रीमति गुड्डी पत्नि राजेन्द्र कुमार पुत्री शिवनारायण जाति धाकड निवासी बालूहेडा तह0 कनवास
   - 1/5 श्रीमति सावित्री बाई पत्नि रामस्वरूप पुत्री शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी धतूरिया पोस्ट बालाखेडा, तह. अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व मि0सं0 6 पट्टा सं0 25 दिनांक 19.12.1989 ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया, पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि– "गैर निगराकार 2 द्वारा ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया पंचायत समिति लाडपुरा तहसील लाडपुरा द्वारा गैर निगराकार नं0 1 शिवनारायण पुत्र सुखदेव जाति धाकड़ के नाम दिनांक 19.12.1989 को मिसल संख्या 6 पट्टा सं0 25 जारी कर दिया गया जबकि उक्त भूमि का पट्टा

Scanned by CamScanner

दिनांक 19.11.1974 को निगराकारान के पिता मेघराज पुत्र स्व0 सुखदेवजी के पक्ष में ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया द्वारा जारी किया हुआ था ।

2. ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टा आदेश 19.12.1989 की अप्रसन्नता में यह निगरानी निगराकार द्वारा दिनांक 08.1.2015 को धारा 5 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया किउक्त विवादित पट्टे में जो कि ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया द्वारा जारी करना बताया गया है, उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, केवल मात्र सरपंच ने ही मनमर्जी से अपने स्वयं के हस्ताक्षरों से उक्त पट्टा जारी किया है जो विधिवत नहीं होने से निरस्त योग्य है । उक्त विवादित पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में नियमानुसार दिनांक 19.11.1974 को निगराकारान के पिता श्री मेघराज पुत्र स्व0 श्री सुखदेवजी के पक्ष में ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा जारी किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने यह पट्टा रहते हुए उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी किया गया जो कानूनी रूप से गलत है क्योंकि जहां पुराना पट्टा बना हुआ है इसी भूमि का पट्टा दुबारा तभी जारी हो सकता है जब पूर्व का पट्टा खरिज हो गया हो किन्तु उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है तथा गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त विवादित पट्टे वाली भूमि शुरू से ही निगराकारान के पिता स्व0 श्री मेधराज जी के कब्जे में थी, उन्होंने ही छोटा भाई होने के नाते गैर निगराकार क्रम 1 को रहने के लिये दी थी जिसने चालाकी से दिनांक 28.6.1990 को उसी भ्झूमि का दुबारा पट्टा बनवा लिया है जो अवैध है । निगराकार को उक्त पट्टा की कोई जानकारी नहीं थी सर्व प्रथम गैर निगराकार द्वारा मेघराज के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करने की निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं निगराकारान को तलब होने पर एवं दिनांक 17.11.2014 को माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ बाद में जिस पर निगराकारान ने अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त पट्टे की नकल को प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 1.12.2014 को पेश किया तब सर्व प्रथम जानकारी हुई , जिसकी नकल दिनांक 11.12.2014 को प्राप्त होने पर अविलम्ब निगरानी पेश की जा रही है । इस प्रकार निगरानी पेश करने में हुई देरी सद्भाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में उपरोक्त अवधि को मिया में से कन्डोन करने के पश्चात प्रस्तुत निगरानी को नकल प्राप्त होने की दिनांक 11.12.2014 से अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर गैर निगराकार नं0 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 19.12.1989 को मिसल संख्या 6 पट्टा सं0 25 निरस्त फरमाया जावें ।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार को तलब किया गया । गैर निगराकार नं0 के कायम मुकामान नं0 1 से 3 की ओर से श्री घनश्याम नागर अभिभाषक उपस्थित शेष बावजूद सूचना अनुपस्थित है । गैर निगराकार नं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित है । वकील निगराकार व निगराकार अनुपस्थित है काफी मौके दिये जा चुके है । निगराकार अनुपस्थित रहने से गैर निगराकार के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि उक्त विवादित प्लॉट की भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय ए.डी.जे. क्रम–3 कोटा में भी एक वाद निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया था, जो पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद प्रकरण राजीनामे के आधार पर बरूए राजीनामा खारिज किया जा चुका है । ऐसी

Scanned by CamScanner

स्थिति में इस निगरानी के चलने का अब कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी निगराकार खारिज फरमाई जावें ।

5. वकील अपीलांट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे जाहिर होता है कि प्रस्तुत निगरानी में विवादित प्लॉट के सम्बन्ध में माननीय एडीजे कोर्ट में निगराकार की ओर से एक वाद ओम प्रकाश बनाम श्योजीराम प्रकरण सं0 91/2013 प्रस्तुतशुदा में पक्षकरान के मध्य राजीनामा के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा बरूए राजीनामा निर्णय दिनांक 6.7.2017 से खारिज किया जा चुका है । परिणामस्वरूप हम यह मानते है कि जब उक्त विवादि भूमि के सम्बन्ध में Res Judicata के अनुसार सक्षम न्यायालय माननीय ए.डी.जे.–3 कोटा द्वारा निर्णय किया जा चुका है तो जैर अपील निगरानी का इस न्यायालय में चलने का अब कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज होनें योग्य है ।

6. अतः विवादित पट्टा भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय माननीय ए.डी.जे.–3 कोटा द्वारा निर्णय किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कोई हस्तक्षेप करना उचित समझते है । निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner